

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भर्वरी बनाम राधेश्याम

किस्म मुकदमा वा. नं० 119 सन् 2016

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5-5-16	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक ...1.5.2016 को पेश हो ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
15-7-16	<p>पत्रावली पेश हुई। दलील वादिया उपस्थित। प्रतिवादी जण नं 1, 2, 3, 4, 7 के कम्पन काद तामील प्रदाईये। जिसे श्राफिल पत्रावली लिखे गये। प्रतिवादी नं 1, 2, 3, 4, 7 की कोद के दलिल पत्र भी पेश कीये। पत्रावली के पेश क्रिया, जिसे श्राफिल पत्रावली लिखा गया। प्रतिवादी नं 7 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं 7 के जिलती मर्क विधिकार द्वारा दलिल जार के उपरोक्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफ कार्यवाही क्रिये जाके का रादेश क्रिया जाता है। प्रतिवादी नं 5 व 6 के कम्पन काद तामील प्रदाईये। जिसे श्राफिल पत्रावली लिखे गये। प्रतिवादी नं 8 के कम्पन काद तामील/काद तामील प्रदा नही है। वास्तव प्रतिवादी नं 5, 6 व 8 के कम्पन कहेतजाव व तामिल तथा प्रतिवादी नं 1, 2, 3 व 4 के जवाबदाय हेतु पत्रावली दिनांक 16-9-16 को पेश है।</p>	
16-9-16	<p>पत्रावली पेश हुई। दलील वादिया उपस्थित नहीं। दलील प्रतिवादी नं 1, 2, 3, 4 व 7 उपस्थित। वादिया व वादिया के दलील को जिलती की मर्क विधिकार द्वारा दलिल जार के उपरोक्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण वादिया का काद एक तरफ हाजरी व कम्पन पेश के श्रावणी क्रिया जाता है। पत्रावली के काल शुभान भी जावन प्रदाव (कारिकल है) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाडा</p>	